फर्द अहकाम

नाराज़ बनाम [illegible]

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 66/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30.9.19	वकील आवेदक उप/रोके अभ्यावेदन दाखिल हो चुकी है। प्रार्थी कोई उपस्थित नहीं है। वादि अग्रिम आज्ञार्थ दिनांक 9.10.19 को पेश हो।
	9.10.19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण में कोई उपस्थित नहीं है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में एक पक्षीय बहस करते हुए पत्थरगट्टी वाले बाबत निकाल किया। इनके पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरणगत भाराजी का दिनांक 28.11.16 को सीमांकन हो चुका है तथा आवेदक के अभिभाषक द्वारा बार्यूड मुद्दा के कोई उपस्थित नहीं आये। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगट्टी वाले का खारिज किया जाता। भाराजी (प्र.सं. 233/2538, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504 वादेग्राम पेशी तहसील शाहपुरा के मुताबिक सीमांकन सिटे 28.11.16 के अनुसार मौके पर वादि खसरा नं. पर निकासुदा पत्थरगट्टी बनाये। तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पत्रावली रेकर्ड उपरांत नम्बर रेकर्ड होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner